

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी १, १९७०/पौष ११, १८९१

No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1970/PAUSA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

Customs

New Delhi, the 1st January 1970

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 98-Customs, dated the 1st July, 1968, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) and falling under Item or Items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (3) of the said Table when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of—

- (a) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the standard rate of duty is leviable, and
- (b) the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Sl. No.	Name of article	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff act, 1934	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
1	2	3	4	5
1	Drugs and medicines containing spirit.	22(5)(b)(i) and 22(5)(b)(ii)	Rs. 13.86 per litre or 54 per cent ad valorem which ever is higher plus Rs. 5.00 per litre.	
2	Tobacco, unmanufactured	24(3)	Rs. 35/- per Kilogram	Rs. 35/- per Kilogram.
3	Drugs and medicines other than Chloroquine.	28 or 28(8).	50 per cent ad valorem.	40 per cent ad valorem.
4	Alumina for the manufacture of aluminium.	28	15 per cent ad valorem.	11 per cent ad valorem.
5	Chloroquine	28	50 per cent ad valorem	46 per cent ad valorem
6	(a) Vitamin A	28(28)(b)	30 per cent ad valorem.	28 per cent ad valorem.
	(b) Vitamins B-12, C, D-2, D-3 and K, and preparations thereof	28(28)(b)	50 per cent ad valorem.	48 per cent ad valorem.
	(c) Vitamins and vitamin preparations other than those specified under (a) and (b) above, excluding fish liver oil free from other therapeutic ingredients.	28(28)(b)	20 per cent ad valorem.	18 per cent ad valorem.
7	Wireless transmission apparatus.	73(13)	30 per cent ad valorem	26 per cent ad valorem.

[No. 2/F. No. 11/9/69-Cus. I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1970

सं० का० नि० सं० 32.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 98—सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1968 को

अधिकृत करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय टारिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और प्रथम अनुसूची की मद या मदों के अन्तर्गत आने वाली हरेक वस्तुओं को जब उनका भारत में आयात किया जाता हो, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो निम्नलिखित से अधिक है, एतद् द्वारा छूट देती है—

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में, तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर, जहां शुल्क का मानक दर उद्ग्रहणीय है और

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में, तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर, जहां शुल्क का अधिमानी दर उद्ग्रहणीय है ।

क्र०सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टारिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में मद सं०	शुल्क का मानक दर	शुल्क का अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीषधि और श्रीषध जिनमें स्प्रिट है	22(5)(ख) (1) और 22(5)(ख) (ii)	रु० 13.86 प्रति लिटर या 54 प्रतिशत मूलानुसार जो भी अधिक हो और साथ ही रुपया 5.00 प्रति लिटर ।	54 प्रतिशत
2.	तम्बाकू, अविनिर्मित	24(3)	रु० 351- प्रति किलोग्राम	रु० 351- प्रति किलोग्राम
3.	क्लोरोक्लिन से भिन्न श्रीषधि और श्रीषध	28 या 28(8)	50 प्रतिशत मूलानुसार	40 प्रतिशत मूलानुसार
4.	अल्युमिनियम के विनिर्माण के लिए अल्युमिना	28	15 प्रतिशत मूलानुसार	11 प्रतिशत मूलानुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	मलशोरोकुइत	28	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	46 प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	(क) विटामिन ए	28 (28) (ख)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	28 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) विटामिन बी-12, सी, डी-2 डी-3 और के, और उन की निमित्तियां	28 (28) (ख)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	48 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट निमित्तियों से भिन्न विटामिन और विटामिन की निमित्तियां जिनमें अन्य चिकि- त्सीय संघटकों से मुक्त मछली के लीवर का तेल अपवर्जित है।	28 (28) (ख)	20 प्रतिशत मूल्यानुसार	18 प्रतिशत मूल्यानुसार
7.	बेतार-प्रेषण उपकरण	73 (13)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	26 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 2/का० सं० 11/9/69—सीमा शुल्क 1]

ज्योतिर्मय घत्त, उपसचिव।